पत्रांकः-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2019......./

बिहार सरकार

भवन निर्माण विभाग

आदेश

संवेदक, श्री अरूण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं0-08, राजीव नगर, पटना द्वारा बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना के मुख्यालय भवन कार्यालय के समीप जिम्नाजियम का निर्माण कार्य के निविदा में गलत अनुभव प्रमाण पत्र अपलोड किया गया, जिसके कारण प्रबंध निदेशक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि०, पटना द्वारा संवेदक को दोषी मानते हुए अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना को बिहार ठीकेदारी निबंधन नियमावली-2007 के निहित प्रावधानो के तहत उनके विरूद्ध कार्रवाई करने हेतु अनुशंसा की गयी, तत्पश्चात् अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, बिहार, पटना के पत्रांक-6851 दिनांक-26.07.2019 द्वारा संवेदक के निबंधन को आदेश निर्गत होने की तिथि से पाँच वर्षों के लिए कालीकृत किया गया ।

जिसके पश्चात् संवेदक के द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में LPA No-658 of 2021 (CWJC No-16766/2019) दायर किया गया, जिसमें दिनांक-02.02.2022 को माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा निम्नवत् आदेश दिया गयाः-

"Having heard learned counsel for the petitioner, learned counsel for the State and learned counsel for the Corporation, this Court does not find any error or infirmity in the judgment and order passed by learned Single Judge requiring any interference by this court in this Letters Patent Appeal. Accordingly, the LPA is dismissed, however, the order of blacklisting is of five years, which appears to be excessive, as such, the matter is remanded on the issue of period of blacklisting to the Engineer-inChief-cum-Additional Commissioner- cum-Special Secretary, Building Construction Department, Government of Bihar, Patna, who shall pass a fresh order after affording due opportunity to petitioner with respect to period of blacklisting within three months from the date of receipt/production of a copy of the order passed by this Court".

दिनांक-21.04.2022 अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव, भवन निर्माण विभाग, पटना की अध्यक्षता में आयोजित संवेदकों के निलंबन/कालीकरण संबंधी बैठक में इसपर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना द्वारा दिये गये न्यायादेश के आलोक में संवेदकों को दिए जाने वाले दण्ड पर विचार किया गया । विचारोपरांत समिति द्वारा दण्ड के निर्धारण से संबधित पूर्व में निर्गत आदेश (विभागीय पत्रांक-6851 दिनांक-26.07.2019) के आलोक में संवेदक को तीन वर्षों तक के लिए कालीकृत करने का निर्णय लिया गया ।

ह0/-

(राकेश कुमार)

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2019......... पटना,दिनांक-

निबंधित

प्रतिलिपिः-श्री अरूण कुमार, पिता-श्री सियाराम सिंह, शर्मा भवन, रोड नं0-08, राजीव नगर, पटना के निबंधन सं0-BCD प्रथम(व्यक्तिगत)-29(भवन)/2014 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

955

Sec-13 Prakash

ज्ञापांक-भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2019......... पटना,दिनांक

प्रतिलिपिः-सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग,/अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव के आप्त सचिव, भवन निर्माण विभाग/पथ निर्माण विभाग/जल संसाधन विभाग/लोक स्वास्थय अभियंत्रण विभाग/नगर विकास विभाग/ऊर्जा विभाग/ग्रामीण कार्य विभाग/प्रबंध निदेशक बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना/मुख्य महाप्रबंधक(परियोजना), बिहार चिकित्सा सेवायें एवं आधारभूत संरचना विकास प्राधिकार, प्रथम तल, उद्योग भवन, पूर्वी गाँधी मैदान, पटना/सभी मुख्य अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी अधीक्षण अभियंता, भवन निर्माण विभाग/सभी कार्यपालक अभियंता, भवन निर्माण विभाग/मुख्य अभियंता योजना एवं विकास विभाग/मुख्य महाप्रबंधक, बिहार राज्य भवन निर्माण निगम लि0, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

ह0/-

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

ज्ञापांक- भवन-13/अभि0प्र0(नि0)-03-निलंबन/कालीकृत-05/2021 3229 (भ) पटना,दिनांक 6/5/22

प्रतिलिपिः-आई0 टी0 मैनेजर, भवन निर्माण विभाग को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

5/5/22

अभियंता प्रमुख-सह-अपर आयुक्त-सह-विशेष सचिव

Sec-13 Prakash